प्रपत्र 1 Form 1

(विनियम 3 देखे) [See Regulation 3]

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

उत्पाद प्रमाणन योजना

Product Certification Scheme

मानक मुहर के उपयोग के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन

APPLICATION FOR LICENCE TO USE THE STANDARD MARK

व्यक्ति अथवा फर्म का पूरा नाम Full name of individual or firm	

कार्यालय Office

पता Address

दूरभाष Tel

फैक्स Fax

ई-मेल E-mail

शहर City	जिला District	राज्य State	देश Country	पिन Pin

फैक्टरी FACTORY

पता Address

दूरभाष Tel

फैक्स Fax

ई-मेल E-mail

शहर City	जिला District	राज्य State	देश Country	पिन Pin

प्रबंध Management

शीर्ष प्रबंध Top Management		तकनीकी प्रबंध Technical Management	
नाम Name	पदनाम Designation	नाम Name	पदनाम Designation
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	

संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति व दूरभाष सं. CONTACT PERSON & Tel No.	

पत्राचार का पता CORRESPONDENCE ADDRESS	कार्यालय Office		स्तर SCALE	बड़ा Large		क्षेत्र SECTOR	सार्वजनिक Public	
	फैक्टरी Factory			लघु Small			निजी Private	

यह आवेदन----------पर भामाब्यूरो की मानक मुहर के उपयोग के लिए किया जा रहा है ।
This application is being made to use the BIS Standard Mark on ----------

उत्पाद PRODUCT			
भारतीय मानक INDIAN STANDARD	भा मा IS: भाग Part: खंड Sec:	ग्रेड/टाइप/श्रेणी GRADE/TYPE/CLASS	

वर्तमान संस्थापित क्षमता PRESENT INSTALLED CAPACITY (उत्पादन प्रतिवर्ष) (Production per annum)	उत्पाद की इकाईयॉ Units of Production	प्रमात्रा Quantity	मूल्य (रु.) Value (Rs.)

भामा ब्यूरो अधिनियम के अधीन पिछले निरस्तीकरण/ कन्विक्शन, यदि कोई है, के विवरण DETAILS OF PREVIOUS CANCELLATION/CONVICTON IF ANY UNDER BIS ACT	

फर्म की सील
SEAL OF FIRM

हस्ताक्षर ----------
Signature
नाम
Name ----------

पदनाम ----------
Designation
आवदेन की तिथि ----------
Date of applicaton

महत्व – 1. आवेदन पर फर्म के सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों ।
2. विदेशी निर्माताओं से आवेदन की स्थिति में उनके प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि के भी प्रति हस्ताक्षर आवेदन पर हों ।
3. कृपया सूचित करें कि आपके पास अन्य किसी उत्पाद(दों) के लिए भामाब्यूरो लाइसेंस है ।

Important: 1. Application should be signed by CEO of the firm, or in his absence by authorized representative.
2. Application from Foreign Manufacturers should be countersigned by authorized Indian representative.
3. Please inform whether you are holding BIS licence(s) for any product(s).